

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक : 06 / ज.सं.वि. - 105 - विविध - 17 / 2012 / रॉची, दिनांक : /

प्रेषक,

मुकित साधन चौरसिया,
सरकार के उप सचिव (अभि.) ।

सेवा में

सभी उपायुक्त, झारखण्ड / सभी उप विकास आयुक्त, झारखण्ड /
सभी कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड / सभी उप कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड ।

विषय:— झारखण्ड इनलिस्टमेंट ऑफ कन्ट्रैक्टर्स रूल्स 2001 में निर्धारित निबंधन शुल्क एवं
नवीकरण शुल्क में संशोधन के संबंध में।
महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि झारखण्ड इनलिस्टमेंट ऑफ कन्ट्रैक्टर्स रूल्स 2001 की कंडिका-06 में निर्धारित निबंधन तथा नवीकरण शुल्क की दरों को विभागीय अधिसूचना संख्या-1694 दिनांक 14.03.2016 द्वारा संशोधित कर दिया गया है। उक्त अधिसूचना को झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, रॉची द्वारा झारखण्ड राजपत्र में उनके गजट सं.-213 दिनांक 18.03.2016 के द्वारा प्रकाशित कर इसकी प्रति विभाग को उपलब्ध करा दिया गया है।

एतदर्थ झारखण्ड गजट के असाधारण अंक की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है।

अनु०—यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/—

(मुकित साधन चौरसिया)
सरकार के उप सचिव(अभि.)।

झापांक :—

रॉची, दिनांक :—

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, झारखण्ड के प्रधान आप्त सचिव / सभी अपर मुख्य सचिव / सभी प्रधान सचिव / सभी सचिव / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी विभागाध्यक्ष को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०—यथोक्त।

ह०/—

(मुकित साधन चौरसिया)
सरकार के उप सचिव(अभि.)।

झापांक :— २०२९

रॉची, दिनांक :—

०६-०४-१६

प्रतिलिपि : बैब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि उक्त गजट को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।
अनु०—यथोक्त।

(मुकित साधन चौरसिया)
सरकार के उप सचिव(अभि.)।



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 213 राँची, शुक्रवार,

28 फाल्गुन, 1937 (श०)

18 मार्च, 2016 (ई०)

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

14 मार्च, 2016

संख्या--6/ ज0स0वि�0-105-विविध-17/12- 1694--बिहार राज्य पुर्नगठन अधिनियम 2000 की धारा-85 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, झारखण्ड इनलिस्टमेंट ऑफ कान्ट्रैक्टर्स रूल्स 2001 के नियम -6 में अंकित फीस की दरों को निम्नरूपेण संशोधित किया जाता है।

क्र० सं०	श्रेणी	निविदा की निर्धारित राशि	निबंधन हेतु संशोधित राशि (अप्रत्यर्पणीय)	नवीकरण की संशोधित राशि (अप्रत्यर्पणीय)
1	2	3	4	5
1	1- एस	रुपये 02 करोड़ के ऊपर	रु 2,00,000	रु 2,00,000
2	1-ए	रुपये 50 लाख से ऊपर तथा रुपये 02 करोड़ तक	रु 1,00,000	रु 1,00,000

3	1-बी	रुपये 20 लाख के ऊपर तथा रुपये 50 लाख तक	रु 25,000	रु 25,000
4	श्रेणी-2	रुपये 05 लाख के ऊपर तथा रुपये 20 लाख तक	रु 10,000	रु 10,000
5	श्रेणी-3	रुपये 01 लाख के ऊपर तथा रुपये 05 लाख तक	रु 4,000	रु 4,000
6	श्रेणी-4	रुपये 50 हजार से ऊपर तथा रुपये 01 लाख तक	रु 2,000	रु 2,000
7	श्रेणी-5	रुपये 50 हजार तक	रु 1,000	रु 1,000

2. झारखंड इनलिस्टमेंट ऑफ कान्ट्रैक्टर्स रूल्स 2001 के नियम -13 एंव नियम -17 में वर्णित निवंधन एवं नवीकरण की वैधता की निर्धारित अवधि तीन वर्ष को संशोधित करते हुए पाँच वर्ष किया जाता है।
 3. नियमावली की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेंगी।
 4. यह अधिसूचना झारखंड राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,
सुखदेव सिंह,
पधान सचिव ।

प्रिय राजकीय	प्रिय राजकीय	प्रिय राजकीय
प्रिय राजकीय	प्रिय राजकीय	
(असाधारण)	(असाधारण)	

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 213—50।